भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1376

दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

पशुपालन को बढ़ावा

1376. श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बा राम:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान और झारखंड सहित देश में पशुपालन को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के लिए क्षेत्र-वार कुल कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन करने वाली इकाई स्थापित करने के लिए कुल कितना अनुदान दिया गया है और उक्त अनुदान के लिए पात्रता मानदंड क्या है;

(घ) वर्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया; और

(च) अब तक क्षेत्र-वार प्रशिक्षण प्रदान किए गए किसानों की कुल सख्या कितनी है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग राजस्थान और झारखंड राज्य सहित देश में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। योजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम),

II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी),

III. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)*,

IV. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)

V. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम),

VI. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)*

VII. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच एंड डीसीपी)

VIII. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी और आईएसएस)

**नीति आयोग और व्यय विभाग की सिफारिश के आधार पर, डीआईडीएफ और एएचआईडीएफ को डीएएचडी की अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) योजना के तहत विलय कर दिया गया है।*

(ख) योजनाओं के तहत कोई क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया गया है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना-वार आवंटन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 (करोड़ रु. में)**
1	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2465.00
2	अवसंरचना विकास निधि	370.00
3	डेयरी विकास	371.00
4	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	700.00
5	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	324.00
6	पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (सीएसएस)	45.00
8	सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी (क्र. सं. 3 में शामिल)	-
	कुल	**4275**

(ग) से (च) कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा प्रदान की गई जानकारी इस प्रकार है:

सरकार वर्ष 2015-16 से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए समर्पित योजनाएं लागू कर रही है। इनमें परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को जैविक इनपुट का उपयोग करके जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ये योजनाएं किसानों को जैविक उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक हर तरह की सहायता प्रदान करती हैं। किसानों को ऑन-फार्म जैविक खाद के उत्पादन और उसके उपयोग के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण देना इन योजनाओं का अभिन्न अंग है। किसानों को विभिन्न जैविक इनपुट के लिए पीकेवीवाई के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष और एमओवीसीडीएनईआर के तहत 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर/3 वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलुरु, इंफाल और भुवनेश्वर स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र देश भर में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जैविक एवं जैव-उर्वरकों के ऑन-फार्म उत्पादन तथा उपयोग के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन विकास प्रशिक्षणों का आयोजन कर रहे हैं, जैसे एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण, विस्तार अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण, पीजीएस पर दो दिवसीय प्रशिक्षण, 30 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, एक दिवसीय जैविक एवं प्राकृतिक किसान सम्मेलन, प्राकृतिक कृषि पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श/सम्मेलन, प्राकृतिक कृषि पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा जागरूकता कार्यक्रम। एनसीओएनएफ और आरसीओएनएफ जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तथा जैविक एवं जैव-उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग के बारे में ऑनलाइन जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

एनसीओएनएफ ने वर्ष 2017 और वर्ष 2019 के दौरान भुवनेश्वर (ओडिशा) और नागपुर, महाराष्ट्र में वर्मीकम्पोस्ट पर 30 दिनों के 2 एएससीआई अनुमोदित प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित किए थे।

एनसीओएनएफ वर्मीकम्पोस्ट बनाने पर कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है, लेकिन एन/आरसीओएनएफ जैविक कृषि संबंधी अपने नियमित प्रशिक्षणों में हमेशा वर्मीकम्पोस्ट बनाने को एक विषय के रूप में शामिल करता है। पिछले 3 वर्षों में नियमित एएपी के तहत आयोजित प्रशिक्षण और लाभान्वित किसानों की जानकारी **अनुबंध-II** में संलग्न है।

****

अनुबंध-I

योजनाओं का ब्यौरा

I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: पशुपालन को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना लागू कर रही है। इसका उद्देश्य देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे डेयरी को किसानों के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

II. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) फरवरी-2014 से राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" योजना लागू कर रहा है। इस योजना को जुलाई 2021 में निम्नलिखित दो घटकों के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक लागू करने के लिए पुनर्गठित/पुनर्संरेखित किया गया है:

(i) एनपीडीडी का घटक "क" गुणवत्ता वाली दूध परीक्षण मशीनों के साथ-साथ प्राथमिक प्रशीतन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ii) (ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

III. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ): पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) ने डीएएचडी द्वारा जारी योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार दूध प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण अवसंरचना के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए ऋण पर 2.5% की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) योजना लागू की है। दिनांक 01.02.2024 को, भारत सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) और डीआईडीएफ योजनाओं का विलय कर दिया। इस कार्यान्वयन को भी 29,110.25 करोड़ रुपये की निधियों के साथ अगले तीन वर्षों (2024-26) के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना मांग आधारित है और इसलिए, कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।

IV. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ): यह योजना वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता प्रदान करना है।

अस्थायी रूप से, **घटक "क"** अर्थात "कार्यशील पूंजीगत ऋण" को वर्ष 2020-21 से निलंबित रखा गया है।

डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ **घटक "ख"** के रूप में एक नया घटक **"डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन"** शुरू किया है। **इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू हुआ।**

वित्तीय सहायता का पैटर्न: योजना के घटक "ख" के तहत, उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों (पीओआई) को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, शीघ्र और समय पर भुगतान करने पर, ऋण चुकौती/ब्याज सेवा अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% प्रति वर्ष ब्याज सबवेंशन देय है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये अर्थात प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक एकछत्र योजना **"अवसंरचना विकास निधि"** के एक भाग के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजना **'डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (एसडीसीएफपीओ)'** के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल के दिनांक 01.02.2024 के निर्णय के अनुसार, यह अनुमोदित किया गया है कि एसडीसीएफपीओ का कार्यान्वयन स्वीकृत परिव्यय (अर्थात वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 500 करोड़ रुपये) के भीतर आईडीएफ के एक घटक के रूप में जारी रहेगा।

V. राष्ट्रीय पशुधन मिशन: केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) लागू कर रही है। यह योजना राजस्थान और झारखंड सहित पूरे देश में लागू की जा रही है। इस योजना के तीन उप-मिशन हैं जो इस प्रकार हैं:

1. पशुधन और कुक्कुट पालन का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन
2. आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन
3. नवाचार, विस्तार संबंधी उप-मिशन

पशुधन और कुक्कुट पालन का नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन के तहत, उद्यमिता विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यकलाप जिसमें केंद्र सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन और आहार एवं चारा फ़ार्म की स्थापना के लिए 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह कार्यकलाप किसानों की आय सृजित करने में मदद करता है।

VI. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के तहत पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण द्वारा पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के जरिए पशुधन स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने में सहायता की जाती है जिसका पशुपालन को बढ़ावा देने पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। समर्थित प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं, 100% केंद्रीय सहायता से खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रूसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और

क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ) के लिए टीकाकरण, केंद्र और राज्य के बीच 60:40; पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% निधियन पैटर्न के साथ राज्य की प्राथमिकता वाले आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों के नियंत्रण हेतु पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता (एएससीएडी)। इसके अलावा, पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत, टोल-फ्री नंबर (1962) के माध्यम से किसानों के द्वार पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 60% और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के अनुपात में आवर्ती परिचालन व्यय के साथ मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; जिसमें रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, ऑडियो-विजुअल सहायता और विस्तार सेवाएं शामिल हैं।

VII. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत, माननीय प्रधान मंत्री ने 15000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) की स्थापना की घोषणा की थी। एएचआईडीएफ, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), निजी कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों, धारा 8 कंपनियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल वृद्धि फार्म के लिए अवसंरचना की स्थापना, पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि उत्पादन सुविधाओं की स्थापना और पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार उधारकर्ता को 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और कुल उधार के 25 प्रतिशत तक ऋण गारंटी प्रदान करती है।

VIII. पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

i. **पशुधन संगणना-** पहली पशुधन संगणना वर्ष 1919-1920 के दौरान की गई थी और तब से यह भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित की जा रही है। यह एकमात्र स्रोत है, जो पशुओं और पोल्ट्री पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में अलग-अलग जानकारी प्रदान करता है।

ii. **ii. एकीकृत नमूना सर्वेक्षण-** यह योजना पूरे देश में पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस और ऊन का अनुमान लगाने के लिए लागू की गई है। इस योजना के तहत, अनुमान प्रतिवर्ष जारी किये जाते हैं जिनका उपयोग नीति और योजनागत उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

***

अनुबंध- II

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24	
			प्रशिक्षणों की संख्या	लाभार्थी	प्रशिक्षणों की संख्या	लाभार्थी
1.	जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पर एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन	कोविड-19 के कारण प्रस्तावित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था।	39	2041	40	2144
2.	विस्तार अधिकारियों के लिए जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पर दो दिवसीय प्रशिक्षण		30	643	42	879
3.	पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण		10	227	10	217
4.	पांच दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		05	106	06	122
5.	जैविक एवं प्राकृतिक कृषि पर 30 दिवसीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम		08	252	11	342
6.	एनसीओएनएफ द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों/सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सह-आयोजक के रूप में जैविक और प्राकृतिक कृषि पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया।		08	1470	-	-
7.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों आदि द्वारा प्राकृतिक कृषि पर आयोजित प्रशिक्षण/ कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी		10	2039	-	-

******